

10 152/19



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 766937



मालियत- 20,000/-

स्टाम्प- 1,500/-

ट्रस्ट डीड

(सिटी माण्टेसरी ग्रुप ऑफ स्कूल्स ट्रस्ट)

यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 03.10.2019 को सामाजिक व शैक्षिक कार्यों, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्र सेवा, सभी जाति, समुदाय और धर्म के लोगों के हितार्थ, शिक्षा, मेडिकल/टेक्निकल एजुकेशन और अन्य एजुकेशनल/व्यावसायिक संस्थाओं के संचालन हेतु श्री शाश्वत जोशी आयु 38 वर्ष श्री पटमेश्वरी प्रसाद जोशी निवासी-824 रवेता भवन निकट सिटी माण्टेसरी स्कूल, सत्य प्रेमी नगर, नवाबगंज, जिला-बाराबंकी उ0प्र0 225001 (आधार कार्ड सं0-8233 3091 0038, PAN-AFFPJ7103K मो0-09628222222)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 766936

(2)

एवं श्रीमती प्रवृत्ति जोशी आयु 34 वर्ष पत्नी शाश्वत जोशी 886 ए, गुलाम अली पुर, जिला-बहराइच, उ०प्र० 271801 (आधार कार्ड सं०-6116 1855 0419, मो०-0962822222) द्वारा गठित की जा रही है, जिनको इस प्रलेख में संस्थापक/ट्रस्टी कहा गया है।

हम उपरोक्त ट्रस्ट के संस्थापक/ट्रस्टी रहेंगे। हमारे द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्न व्यक्ति की, जो कि ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं, ट्रस्ट के सदस्य/ट्रस्टी के रूप में नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्ति को ट्रस्ट का सदस्य/ट्रस्टी कहा जायेगा।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 801653

(3)

1. बोर्ड आफ सदस्य/ट्रस्टीज :-

1. श्री माया शंकर जोशी पुत्र स्व० हरिनारायण जोशी निवासी-बहराइच रोड, गिर्द गोण्डा, जिला-गोण्डा (उ०प्र०)
2. श्रीमती रश्मि जोशी पत्नी स्व० साकेत जोशी निवासी-824 सत्य प्रेमी नगर, जिला-बाराबंकी (उ०प्र०)
3. श्री अमरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बीरेन्द्र कुमार निवासी-ग्राम-चन्दौली, पोस्ट-टिकर (उस्मा), थाना-जैदपुर, जिला-बाराबंकी उ०प्र०,
4. श्री विनय पाठक पुत्र श्री रामेश्वर पाठक निवासी-शिवपुरी, शुगरमिल, जिला-बाराबंकी (उ०प्र०)
5. श्री स्वामी प्रसाद पाठक पुत्र स्व० मुन्ना लाल पाठक निवासी-सत्य प्रेमी नगर, जिला-बाराबंकी उ०प्र०,



62. देश की प्रदेश सरकारें एवं केन्द्रीय सरकार एवं अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, प्रतिष्ठानों की सहायता से समस्त कार्य करना, सभी प्रकार के निर्माण, स्वच्छता, सुरक्षा, सफाई, रख-रखाव, बागवानी, सड़क निर्माण, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं का कार्य करना।
63. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना, विधि सम्मत जानकारी का प्रचार-प्रसार कर सकना। ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएं वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। जन सामान्य जनहित में कार्य करेगा। ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
64. कोई भी संस्था, समिति, संस्थान, परिषद, ट्रस्ट, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार सहित भारत के अन्य प्रदेशों का कोई मंत्रालय विभाग या देश, विदेश का कोई भी राष्ट्र अपना कोई विभाग, अस्पताल, पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान, संस्थान केन्द्र, किसी भी क्षेत्र की कार्यक्रम इकाई, कार्यालय धार्मिक स्थल, मन्दिर, आश्रम, चल-अचल सम्पत्ति कल्याणकारी कार्य आदि इस ट्रस्ट को प्रदान करते हैं तो यह ट्रस्ट उसे स्वेच्छा से लेकर अपने में समाहित कर अपने अनुसार उसकी स्थापना, संचालन, प्रबन्ध करेगी।

4. ट्रस्ट की सम्पत्तियां/समितियां:-

1. बहराइच सिटी मान्टेसरी स्कूल समिति, मो0 बड़ीहाट, बहराइच।
2. गोण्डा सिटी मान्टेसरी स्कूल, जिला-गोण्डा।
3. बाराबंकी सिटी मान्टेसरी स्कूल समिति, सत्य प्रेमी नगर, जिला-बाराबंकी।
4. बलरामपुर सिटी मान्टेसरी स्कूल समिति, पुरैनिया तालाब, बलरामपुर, जिला-बलरामपुर।
5. मंजूलता जोशी मेमोरियल एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, मोनं0 824, सत्य प्रेमी नगर, तहसील नवाबगंज, जिला-बाराबंकी।
6. तुलसीपुर सिटी मान्टेसरी स्कूल समिति, मो0-लाल चौराहा, तुलसीपुर, वि0ख0 -तुलसीपुर, पश्0 व तह0-तुलसीपुर, जनपद-बलरामपुर।
7. पटमेश्वरी प्रसाद जोशी मेमोरियल सेवा समिति, मोनं0 824, सत्य प्रेमी नगर, तहसील नवाबगंज, जिला-बाराबंकी, उ0प्र0।



8. राम नगर सिटी मान्टेसरी स्कूल समिति, ग्राम-निजामुद्दीनपुर, गनेशपुर मोड़, तह0-रामनगर, जिला-बाराबंकी।
9. उत्तरौला सिटी मान्टेसरी स्कूल समिति, गांधी नगर, निकट कोतवाली उत्तरौला, तह0-उत्तरौला, जिला-बलरामपुर।
10. एम0एल0जे0 इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट सोसाइटी, 9-ए, द्वितीय तल, कैलाश कला भवन, शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ।

संस्थापक/ट्रस्टियों द्वारा भविष्य में बनायी अन्य सम्पत्तियां/समितियाँ इसी ट्रस्ट में सम्माहित की जायेगी।

5. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी:-

1. प्रारम्भ में ट्रस्ट की स्थापना ट्रस्ट के संस्थापक/ट्रस्टी ने 20,000/-रूपये (बीस हजार रूपये) की नगद धनराशि दान में आज ट्रस्ट को दे दी। वर्तमान में कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।
2. संस्थापक/ट्रस्टी उक्त ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी रहेंगे तथा उन्हें अपना वारिस चुनने एवं नियुक्त करने का अधिकार होगा यदि वे ट्रस्ट से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं अथवा त्याग पत्र दे देते हैं तो उनके द्वारा नियुक्त वारिस अथवा परिवार के ही ट्रस्टी होगा जो संस्थापक/ट्रस्टी के स्थान पर जीवन पर्यन्त संस्थापक/ट्रस्टी रहेगा। इस प्रकार के नियुक्त संस्थापक/ट्रस्टी में वे सभी अधिकार व कर्तव्य आदि निहित होंगे जो संस्थापक/ट्रस्टी में निहित थे। संस्थापक/ट्रस्टियों की मृत्यु के बाद उनके रिक्त स्थान पर उनके उत्तराधिकारी अथवा परिवार के व्यक्ति ही जीवन पर्यन्त संस्थापक/ट्रस्टी रहेंगे।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट द्वारा बनाये गये सदस्यों से वार्षिक सदस्यता शुल्क लेना और उसका ब्यौर रखना।
4. भविष्य में ट्रस्ट के उपरोक्त संस्थापक/ट्रस्टी द्वारा दान में दी गयी मिल्कियत, चल-अचल सम्पत्ति, धनराशि जैसी भी हो ट्रस्ट में निहित होगी।

